



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12696/2017

अपीलार्थी

नवरतन बोथरा
लोढा का चैक, नागौर तहसील व
जिला,,
Nagaur, Rajasthan

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग, Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 06/04/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री घनश्याम व्यास, अधिवक्ता, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 31-3-17 के द्वारा स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर में अधीनस्थ वरिष्ठ नगर नियोजक, उप नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक आदि के सृजित पदों, सेवा नियम, कार्यक्षेत्र आदि के सम्बन्ध में 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 15-9-17 से बिन्दुवार सूचना प्रेषित कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त कोई सूचना दिया जाना शेष नहीं है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 15-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)

मुख्य सूचना आयुक्त